न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2019/00058 (58/2019)

1. गिरधारी पुत्र पतराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। (फौत)
   1/1 निराणी पत्नी स्व0 गिरधारी पुत्र पतराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
   1/2 रामेश्वर पुत्र गिरधारी पुत्र पतराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. टिकुराम पुत्र मेघाराम जाति मेघवाल निवासी झेदासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. हरखा देवी पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (फौत) (नाम कलमजन)
3. भादरराम पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. शंकरलाल पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. रतीराम पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. रामप्रताप पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. औमप्रकाश पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. दुर्गा पुत्री सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
9. सावित्री पुत्री सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
10. भज्जुदेवी पुत्री सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
11. मैना पुत्री सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
12. फुलीदेवी पुत्री सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
13. पारी पत्नी मेघाराम जाति मेघवाल निवासी झेदासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
14. मीरां पुत्री मेघाराम जाति मेघवाल निवासी झेदासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
15. रतनी पुत्री मेघाराम जाति मेघवाल निवासी झेदासर तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ
16. भंवरलाल पुत्र मेघाराम जाति मेघवाल निवासी झेदासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

17. औमप्रकाश पुत्र मेधाराम जाति मेघवाल निवासी झेदासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्व आदेश दिनांक 28.03.2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर
प्र0 संख्या 24 / 2018 बअनवानी टीकुराम बनाम गिरधारी आदि

श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3 ता 7
श्री रविन्द्र गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 18

निर्णय दिनांक – 03.08.2021

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ता स्वीकृति बाबत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिसमें कथन किया कि उसकी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता स्वीकृतशुदा नहीं है। सायल व गैर सायल सं0 13 ता 17 अपनी भूमि में गैरसालय सं0 1 के खेत रोही मौजा गुलाबगढ के ख. नं. 1473 / 1032 में 0.51 है0 पूर्व से पश्चिम लम्बा व गैरसायल सं0 2 ता 12 के खेत आराजी जरई रौही मौजा गुलाबगढ के ख0 नं0 1032 में 0.101 है0 पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता यानी रोही मौजा गुलाबगढ के ख. नं. 1473 / 1032 की .051 है0, ख0 नं0 1032 में .101 है0 पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता से आवागमन करते आ रहे हैं तथा सायल व गैरसायल सं0 13 से 14 के लिए यही सुविधाजनक रास्ता है तथा यह रास्ता हमेशा से चालू रहा है वर्तमान में भी चालू है इस रास्ते की भूमि के बदले में सायल व गैरसायल सं0 13 ता 17 भूमि या रूपये देने के लिए तैयार हैं। प्रार्थी ने उक्त रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। इस प्रार्थना–पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.06.2017 को कैम्प कोर्ट पल्लू में खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने दिनांक 25.05.2018 को इस प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतू रास्ते की परम आवश्यकता के बिन्दू को देखते हुए आरटीएक्ट की धारा 251 ए के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानानुसार भू अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार रास्ता के आवेदन का निस्तारण करे। प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दि. 28.03.2019 के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:13 IST
Reason: SelfAttested

2. अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने दिनांक 2 .2021 को राजीनामा प्रस्तुत किया एवं राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित करने का निवेदन किया।
3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने दिनांक 03.08.2021 अलग अलग आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये। दोनों पक्षकारों ने एक दूसरे के प्रार्थना–पत्र का कोई विरोध नहीं किया। दोनों प्रार्थना–पत्रों के साथ दस्तावेजों की प्रमाणित/असल दस्तावेज होने एवं अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण दोनों प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाते हैं। प्रस्तुत दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।
5. उभयपक्ष ने समवेत स्वर में दिनांक 25.03.2021 को प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित करने का निवेदन किया है अतः अपील अपीलाण्ट राजीनामा के अनुसार स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2019 निरस्त किया जाता है खसरा नं. 1473/1032 की उत्तरी सींव पर पूर्व से पश्चिम खसरा नंबर 1475/1032 की उत्तरी–पश्चिमी सींव तक रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
6. निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

3/8/21

(करतारसिंह पूनीयॉ)

आर..ए.एस

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:13 IST
Reason: SelfAttested